सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 19/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00026

अनवान

1. श्री मानसिंह पिता पहाड सिंह राजपूत, निवासी खीरावाडा, ग्राम पंचायत बरोडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. श्री केसर सिंह पिता मानसिंह राजपूत, निवासी खीरावाडा, ग्राम पंचायत बरोडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री तुलसीराम पिता गंगाराम जी गर्ग, निवासी रूआब, ग्राम पंचायत बामणिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री नरेन्द्र चित्तौडा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 19-07-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा बरोड़ा, तहसील सलुम्बर में विपक्षी संख्या 1 को आंवटित आराजी संख्या 77/8 के सम्बन्ध में आवंटन सलाहकार समिति ने राय दी थी तथा आवंटन आदेश में कथित भूमि के आराजी नम्बर 77/12 रकबा 5 बीघा होकर दखलनामे में आराजी सख्या 77/8 खाली न होने से 77/12 का कब्जा दिया जाना लिखा गया है एवं नक्शा भी 77/9 व 77/12 का बनाया गया है। इस भूमि का आवंटन नियमों के विपरित किया गया है। कथित भूमि के आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र जारी नही किया गया तथा आवंटन कमेटी का कोरम भी पूर्ण नही था। तथाकथित भूमि गैर काबिल काश्त होने से उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये है। साबिक आराजी सख्या 77/12 पर अपीलान्ट का कब्जा हो अपीलान्ट उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है, जिस पर प्रार्थी का कच्चा मकान बना हुआ था एवं कच्चा मकान गिर जाने से नया मकान बनाया गया है। आवंटनशुदा भूमि के इंच मात्र भाग पर भी विपक्षी का कब्जा नही रहा है। कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 5 के अनुसार ओक्युपाईड एंव अनओक्युपाईड भूमि की

सूचि तैयार नही की गयी। विपक्षी संख्या 1 ने कथित आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से कराया है एवं आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न करने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में मौजा बरोड़ा, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 77/12 पर किया गया आवंटन दिनांक 19.12.1978 को निरस्त किया जाकर कथित भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री नरेन्द्र चित्तोडा, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि मौजा बरोडा के साबिक आराजी नम्बर 77/12 रकबा 5 बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या 1 श्री तुलसीराम पिता गंगाराम गर्ग का पुराना कब्जा होने से आदेश क्रमांकः राज/अभियान/78/052/78 दिनांक 01.01.1979 को आदेश जारी कर 1667.50/–रूपये प्रीमियम एवं 5/–रूपये पट्टा शुल्क जमा कर गैर खातेदारी हक से उक्त भूमि आवंटित कर पट्टा जारी किया गया। आवंटन नियम 15 के अनुसार नियमानुसार उक्त भूमि पर दखलनामा जारी किया गया, जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने बही के क्रमांक 57 दिनांक 24.12.1978 पृष्ठ संख्या 15 पर अंकित करते हुये नक्शा भी संलग्न किया। आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि आवंटी के कब्जे काश्त में है एवं आवंटी ने भारी लागत लगाकर काश्त योग्य बनाया है। आवंटन प्रक्रिया में मात्र सहवन से साबिक आराजी सख्या 77/8 अंकित हो जाने से यह नही कहां जा सकता कि आवंटन आराजी संख्या 77/8 का हुआ हो। आवंटी का पुराना कब्जा भी साबिक आराजी संख्या 77/12 पर ही था। आवंटी अन्त्योदय का सदस्य है एवं अनुसुचित जाति का होकर गरीब काश्तकार है। प्रार्थीगण भू–माफिया होकर जानबूझकर उक्त भूमि को हड़पना चाहते है। प्रार्थीगण एवं उनके साथी दिनांक 15.06.2015 को विवादग्रस्त भूमि पर आये एवं खेत को नुकसान पहुॅचाने पर इस्तगासा न्यायालय में पेश हुआ जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 115/15 दर्ज हो प्रार्थी संख्या 1 के पुत्र के खिलाफ चालान पेश किया गया। प्रार्थीगण के पास 50 बीघा से भी अधिक भूमि है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.07.2015 को वादग्रस्त भूमि के बनाये गये नक्शे में भी कब्जा विपक्षी संख्या 1 का होना बताया गया है। आवंटन विधिवत होने से 35 वर्ष पश्चात उक्त आवंटन को चुनौती देने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 1 का आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर कब्जा होना पटवारी के बयान दिनांक 21.07.2015 में भी स्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रकरण में प्रेषित रिपोर्ट पर विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर मामले में तहसीलदार को उभय पक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 261 दिनांक 22.02.2019 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा बरोडा के हाल आराजी

संख्या 224 रकबा 1.08 हेक्टेयर भूमि का उभय पक्ष की मौजूदगी में मौका निरीक्षण करने हेतु उभय पक्षकारान को लिखित सूचना दी जाने के बावजूद विपक्षी संख्या 1 के मौके पर उपस्थित न होने से प्रकरण में मौका निरीक्षण मौतबिरान की उपस्थिति में किया गया। मौजा बरोड़ा की आराजी संख्या 224 रकबा 1.08 हेक्टेयर भूमि के चारों ओर थूर की बाड लगी होकर खाते के बीच में 15X20 वर्गफीट का सीमेन्टेड टीनशेड पक्का कमरा बना हुआ है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा इस आराजी की भूमि पर करीब 60–70 वर्षो से श्री मानसिंह पिता पहाड सिंह राजपूत का कब्जा काश्त होना बताया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली 1052/78 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवंटन में उद्घोषणा जारी न होना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, आवंटन से पूर्व ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, प्रार्थीगण का आवंटन से पूर्व कब्जा होना, कोरम पूर्ण न होना, आवंटन की राय आराजी संख्या 77/8 की होना एवं आंवटन आराजी संख्या 77/12 का होना, तहसीलदार सलुम्बर की मौका रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में होना, आवंटन में मिसप्रजेन्टेशन होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- आर.आर.डी. 1985 पृष्ठ 564
- आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 497(डी)
- आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 497(सी)
- आर.आर.टी. 2005(1) पृष्ठ 83
- आर.आर.टी. 2001(2) पृष्ठ 1410
- आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 13
- आर.बी.जे.(5) 1998 पृष्ठ 554
- आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 1
- आर.बी.जे.(14) 2007 पृष्ठ 492
- आर.आर.टी. 2009(1) पृष्ठ 113
- आर.बी.जे.(21) 2014 पृष्ठ 120
- आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 764

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए नियमानुसार साबिक आराजी संख्या 77/12 का आवंटन होना, नियमानुसार कब्जा सुपुर्द करना, विधिवत राशि जमा कराना, प्रार्थीगण का भूमिहिन न होना, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षी संख्या 1 का पुराना कब्जा होना, आवंटन में कोई मिसप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि लिपिकीय त्रुटि को आधार मानकर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दष्टांत पेश कियेः—

- आर.आर.टी. 2016(2) पृष्ठ 756
- आर.आर.टी. (1) 2016 पृष्ठ 82
- आर.आर.टी. 2017(2) पृष्ठ 272
- आर.आर.टी. 2017(2) पृष्ठ 1396
- आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 728
- आर.आर.टी. 2007(2) पृष्ठ 1430
- आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 480
- आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 713
- आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ 99
- आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ 103
- आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ 177
- आर.आर.टी. 2014(2) पृष्ठ 1220
- आर.आर.टी. 2008(1) पृष्ठ 598

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली संख्या 1052/1978 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 श्री तुलसीराम गर्ग पिता गंगाराम गर्ग द्वारा मौजा बरोडा तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 77/8 रकबा 5 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है, किन्तु मौके पर आवंटन आराजी संख्या 77/12 का किया गया है। पत्रावली में कोरम पर 3 सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर के हस्ताक्षर भी मौजूद है, किन्तु उनमे से दो सदस्यों के पदनाम अथवा पदनाम की मोहर अंकित नही है। ऐसी स्थिति में किस सदस्य के हस्ताक्षर मौजूद है, स्पष्ट नही है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन में स्वयं को बरोडा (रूआव) का निवासी होना दर्शाया है, जिसे पटवारी हल्का द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन के उपरान्त आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। जब कि आवंटन नियमों के अनुसार भूमि आवंटन के पश्चात पचास प्रतिशत भूमि आवंटन के प्रथम वर्ष में एवं शेष भूमि

द्वितीय वर्ष में काश्त करनी अनिवार्य है। आवंटन शर्तो की पालना न करने से ऐसे आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में जहां तक कब्जे का प्रश्न है, प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर अपना 60–70 वर्ष पुराना कब्जा होना अवश्य बताया है, परन्तु 70 वर्ष पुराना कब्जा होने की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न करने से उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा भी प्रमाणित नही माना जा सकता है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा होना जाहिर नहीं होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बरोडा, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 77/12 रकबा 5 बीघा पर विपक्षी संख्या 1 श्री तुलसीराम पिता गंगाराम गर्ग के पक्ष में उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 19.12.1978 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सलुम्बर को निर्देश दिये जाते है कि वह विपक्षी संख्या 1 को मौके से बेदखल कर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करे एवं बिलानाम सरकार दर्ज करने के उपरान्त उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित न करे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर